(28)

R 2516-निग/14

408
24.7.14

1:- [illegible]

2:- कमलेश्वर प्रसाद तनया महादेव ब्रा0 उम्र 65 साल

3:- रामायण प्रसाद तनया हरिवंशराम ब्रा0 उम्र 36 साल

सभी नि. ग्राम गढ़ा रहबर सभी का पेशा खेती, पो0 आ0 दुबगवां, बिछौली तहसील हनुमना जिला रीवा म.प्र. ---- निगरानी कर्ता / आवेदक गण

व ना म

सुशीला देवी पत्नी गोविन्दप्रसाद ब्रा0 उम्र 45 साल निवासी ग्राम गढ़ा रहबर पो0 आ0 दुबगवां, तह. हनुमना जिला रीवा म.प्र. --गैर निगरानी कर्ता/अनावेदक

क्रमांक 2510 आज .... को प्राप्त
24.7.14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल खटखरी, तह. हनुमना राजस्व प्र. क्र. 43।2/2014 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 7. 2 अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता सन् 1959 ईसवी.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न लिखित हैं:-

1:- यहकि गैर निगरानी कर्ता सुशीला देवी पत्नी श्री गोविन्द प्रसाद निवासी ग्राम गढा रहबर पटवारी हल्का बिछौली मुकुलान राजस्व निरीक्षक मण्डल खटखरी, द्वारा अपने पट्टे कब्जे- दखल की भूमि खसरा क्र. 10 नं. 405 रकबा 0. 170 हे0 स्थित ग्राम गढा, रहबर, के सीमांकन किये जाने हेतु राजस्व निरीक्षक सर्किल खटखरी के यहां आवेदन पत्र पूर्व में प्रस्तुत किया गया था, उक्त सीमांकन प्रकरण में बिना सहहद्दी काश्तकारों यानी निगरानी कर्ता गणों व अन्य सभी पवर्ती कृषकों, को सूचना दिये हुये मनमाने ढंग से सीमांकन किया गया है, तथा उक्त सीमांकन में भूमि खसरा नम्बर -

कमलेश्वर प्रसाद

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2516–तीन/2014 जिला रीवा

कौशल प्रसाद आदि विरूद्ध सुशीला देवी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–6–2015	आवेदकों द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल खटखरी तहसील हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 04/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 07–2–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ याचिका के अनुसार संक्षिप्त विवरण एवं तर्क इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल खटखरी के समक्ष अपने पट्टे कब्जे दखल की भूमि खसरा कमांक 405 रकबा 0.170 हे0 स्थित ग्राम मढा रघुवर के सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 7–2–14 को बिना आवेदक को सूचना दिये सीमांकन आदेश पारित करने में त्रुटि की है। राजस्व निरीक्षक के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण के साथ संलग्न आदेश पत्रिकाओं की सत्यप्रतिलिपियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा मान्यता प्राप्त नक्शे के आधार पर सीमावर्ती कृषकों को सूचना पत्र देकर सीमांकन कर सूचना पत्र, नजरी नक्शा, फील्डबुक, पंचनामा सहित राजस्व निरीक्षक को प्रेषित किया, जिसकी पुष्टि राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 7–2–14 द्वारा की गई है। आवेदकगण सरहदी कास्तकार के होने के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत	

नहीं किया है। आवेदकगण निगरानी लगभग 75 दिवस के विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त आवेदकगण राजस्व निरीक्षक के आदेश में प्रथमदृष्टया त्रुटि दर्शाने में भी असमर्थ रहे हैं। दर्शित परिस्थितियों में निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य